

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक WEEKLY

सं. 4]

नई दिल्ली, फरवरी 26 —मार्च 4, 2006, शनिवार/फाल्गुन 7 —फाल्गुन 13, 1927

No. 4] NEW DELHI, FEBRUARY 26—MARCH 4, 2006, SATURDAY/PHALGUNA 7—PHALGUNA 13, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 4 PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 30.— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, मध्य कमान द्वारा कर्नल सुधाकरण पानिकर का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, झांसी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा.सं. 19/02/झांसी/सी/डीई/2001/259/डी (क्यू एण्ड सी)/06]

आर. एस. दूदानी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 1st February, 2006

S.R.O. 30.—In pursuance of Sub-Section (3) of Section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Jhansi by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Central Command of resignation of Col. Sudhakaran Panicker.

[F. No. 19/02/Jhansi/C/DE/2001/259/D(Q&C)/06]

R. S. DUDANI, Under Secy.

नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 33.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय कैडेट कोर, निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापन कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2003 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :--

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय कैडेट कोर, निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापन कार्यालय अधीक्षक भर्ती (संशोधन) नियम, 2005 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. राष्ट्रीय कैंडेट कोर, निदेशालय और प्रशिक्षण स्थापन कार्यालय अधीक्षक भर्ती नियम, 2003 में स्तंभ 5 के नीचे प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात :--

''चयन''

[फा.सं. 12565/ओ एस/डीजीएनसीसी/पर्स (स्प्रे)/775/आर आर/डी (ए)/05]

आर. बी. जोशी. अवर सचिव

R. B. JOSHI, Under Secv.

टिप्पण-मूल नियम का.नि.आ. सं. 53 तारीख 27 मार्च, 2003 को अधिसचित किए गए थे।

New Delhi, the 14th February, 2006

S.R.O. 33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend National Cadet Corps Directorates and Training Establishments Office Superintendent Recruitment Rules, 2003, namely:-

- 1. (1) These rules may be called National Cadet Corps, Directorates and Training Establishments Office Superintendent Recruitment (Amendment) Rules, 2005.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In schedule to the National Cadet Corps, Directorates and Training Establishments Office Superintendent Recruitment Rules, 2003, under Column 5, for the entry, the following, entry shall be substituted, namely:—

"Selection"

[F. No. 12565/OS/DGNCC/Pers(C)/775/RR/D(Apptts)/05]

Footnote.—The Principal rules were notified vide S.R.O. No. 53, dated 27th March, 2003.

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2005

का.नि.आ. 34. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समह 'ग'
- (प्रशासन) पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2006 है।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समृह 'ग' (प्रशासन) पद भर्ती नियम, 1998 की अनुसूची में, क्रम सं. 4 के सामने पद प्रशासनिक सहायक 'क' से संबंधित है के अधीन स्तंभ 9 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत: स्थापित की जाएगी. अर्थात् :-
 - ''आवश्यकः
 - (i) किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय या बोर्ड से मैट्रिक (10वीं) पास;
 - (ii) अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट और हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट विशुद्ध टंकण की गति; या

कम्प्यूटर में डाटा प्रविष्टि की 8000 की डिप्रैशन प्रति घंटा की विशुद्ध टंकण की गति।

वांछ्नीय :

कम्प्यूटर चलाने का ज्ञान या 'ओ' स्तर का कंप्यूटर पाठयक्रम उत्तीर्ण''।

[फा.सं. डीएचआरडी/76257/आर आर/प्रशासन/सी/पी/02]

एस. के. देब, अवर सचिव

टिप्पण- मूल नियम का.नि.आ. 10 (अ) तारीख 29 मई, 1998 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 28th December, 2005

- **S.R.O. 34.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) Posts Recruitment Rules, 1998, namely:—
- 1. Short title and commencement.— (i) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) Posts Recruitment (Amendment) Rules, 2006.
 - (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the schedule to the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' (Administration) Posts Recruitment Rules, 1998, against the post at serial number 4, relating to Administrative Assistant 'A' under Column 9, for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:—

"Essential:

- (i) Matriculation (10th) pass from a recognized School or Board;
- (ii) Accurate typing in English at the speed of 30 words per minute or in Hindi at the speed of 25 words per minute;

Or

Accurate typing speed of 8000 key depressions per hour for Data entry in the computer.

Desirable: Knowledge of computer operation or pass in computer course at 'O' level".

[F. No. DHRD/76257/RR/ADMIN/C/P/02]

S. K. DEB, Under Secy.

Foot note.—The Principal rules were Published vide number S.R.O. 10(E), dated the 29th May, 1998.

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2006

का.नि.आ. 35.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 2006 है।
 - (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में :—
- (क) उप नियम (1) के खंड (ख) में और उप नियम (2) के खंड (क) में '' 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक)'', पद, जहां जहां आता है, के स्थान पर क्रमश: वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) या विशिष्ट वैज्ञानिक शब्द रखे जाएंगे।
- (ख) उपनियम (2) के खंड (च) में ''उन मामलों को छोड़कर'' शब्दों के स्थान पर वैज्ञानिक '' 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) और विशिष्ट वैज्ञानिक के मामले को छोड़कर'' शब्द रखे जाएंगे।
- (ग) उप नियम (2) में विद्यमान खंड (छ) को खंड (ज) के रूप में पुन: अक्षरांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (ज) से पूर्व निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थातृ:—
- ''(झ) वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) तथा विशिष्ट वैज्ञानिक के ग्रेड में पदोन्नतियां, सक्षम प्राधिकारी के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होंगी''।
 - 3. उक्त नियमों की अनुसूची 1घ में, टिप्पण 2 पर की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
 - ''विशिष्ट वैज्ञानिक का ग्रेड प्रदत्त करने के लिए, **पीयर समिति** उपरोक्त (i) से (iv) पर यथा सूचीबद्ध से मिलकर बनेगी।''
 - 4. उक्त नियमों की विद्यमान अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—